

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या—1337 / XXXI(13)G/2011
देहरादून: दिनांक 28 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या—20 वर्ष, 2011) की धारा— 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय—सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्न सारणी में उल्लिखित विभाग एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एतद्वारा निम्नवत् अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

| क्र. सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय—सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|----------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बी0पी0एल0 राशन कार्ड का नवीनीकरण करना | 1—जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक | 10 दिन | 1— जिलापूर्ति अधिकारी | 1— जिला अधिकारी |
| | | 2—जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक | 10 दिन | 2— जिलापूर्ति अधिकारी | 2— जिला अधिकारी |
| | | 3— ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी | 10 दिन | 3— खण्ड विकास अधिकारी | 3— जिला अधिकारी |
| 2 | नवीन ए0पी0एल0 राशन कार्ड जारी करना | 1— जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में नगरीय सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक | 10 दिन | 1— जिलापूर्ति अधिकारी | 1— जिला अधिकारी |
| | | 2—जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक | 10 दिन | 2—जिलापूर्ति अधिकारी | 2— जिला अधिकारी |
| | | 3— ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी | 10 दिन | 3— खण्ड विकास अधिकारी | 3— अपर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी |

2—राजस्व विभाग

| क्र. सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय—सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|----------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | प्रमाण पत्र 1. जाति प्रमाण पत्र | तहसीलदार | 15 दिन | उप जिलाधिकारी | जिला अधिकारी |

| | | | | जिला अधिकारी |
|----|---|--|---|--|
| 2. | निवास प्रमाण पत्र | उप जिलाधिकारी | 15 दिन | अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी |
| 3. | हैसियत प्रमाण पत्र | उप जिलाधिकारी | 10 दिन | अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी |
| 4. | चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी हेतु) | जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी | 10 दिन | मुख्यालय का उप जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी |
| 5. | आय प्रमाण पत्र | नायब तहसीलदार / तहसीलदार | 15 दिन | उपजिलाधिकारी |
| 6. | उत्तरजीवी / पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र | उपजिलाधिकारी | 15 दिन | अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी |
| 7. | चरित्र प्रमाण पत्र (रोजगार हेतु) | उप जिलाधिकारी | 10 दिन | अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी |
| 8. | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र | जिलाधिकारी के ओर से नामित प्रभारी अधिकारी | 10 दिन | अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी |
| 2. | चरित्र सत्यापन (राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत) | जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी | 45 दिन | अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी |
| 3. | 1—दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (₹0 2000.00 तक) | तहसीलदार | दैवीय आपदा घटित होने के 02 दिन के अन्दर | उप जिलाधिकारी |
| | 2— दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (₹0 5000.00 तक) | उप जिलाधिकारी | दैवीय आपदा घटित होने के 03 दिन के अन्दर | अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी |
| | 3— दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (₹0 5000.00 से अधिक) | जिलाधिकारी | दैवीय आपदा घटित होने के 07 दिन के अन्दर | मण्डलायुक्त |
| 4. | मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण | नायब तहसीलदार / तहसीलदार | धनराशि प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर | उप जिलाधिकारी |
| 5. | खतोनी (ROR) की प्रति दिया जाना— 1. तहसील में आवेदन करने पर | रजिस्ट्रार कानूनगो | आवेदन की तिथि को ही | तहसीलदार |
| | | | | उप जिलाधिकारी |

3-

| | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------------------------|---------------|
| | 2. ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी) | सम्बन्धित लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी) | क्षेत्रीय स्तर पर कम्प्यूटर उपलब्ध होने की तिथि में आवेदन की तिथि को ही, अन्यथा 15 दिन के अन्दर | तहसीलदार | उप जिलाधिकारी |
| 6. | भू-मानवित्र की प्रति दिया जाना | जिला अधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी | आवेदन की तिथि से 03 दिन के अन्दर | अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 7. | खसरे की प्रति दिया जाना | सम्बन्धित लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी) | आवेदन की तिथि को | नायब तहसीलदार / तहसीलदार | उप जिलाधिकारी |
| 8 | किसान बही | तहसीलदार | 07 दिन | उपजिलाधिकारी | जिला अधिकारी |

3-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

| क्र. सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|----------|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (क) चिकित्सकीय अस्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र (Medical illness certificate) | (क) प्रभारी चिकित्साधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक | 02 दिन | मुख्य चिकित्साधिकारी | जिला अधिकारी |
| | (ख) स्वस्थता प्रमाण-पत्र (Physical Fitnes) (जिला स्तर) | (ख) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक | 02 दिन | मुख्य चिकित्साधिकारी | जिला अधिकारी / महानिदेशक |
| | (ग) स्टेट मेडिकल बोड (पाकिश) द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य/अस्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र (द्वितीय चिकित्सा राय) | (ग) मुख्य चिकित्साधिकारी देहरूदन / सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड | 15 दिन | निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | महानिदेशक |
| 2. | जननी सुरक्षा योजना में देय प्रोत्ताहन राशि | 1. प्रभारी चिकित्साधिकारी | 02 दिन (सामान्य प्रसव) | 1. मुख्य चिकित्साधिकारी | 1. मण्डलीय निदेशक |
| | | 2. चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक | 07 दिन (आपरेशन प्रसव) | 2. मुख्य चिकित्साधिकारी | 2. महानिदेशक |

4-

| | | | | | |
|----|--|---|--------|--|---|
| 3. | मेडिकोलीगल प्रमाण-पत्र | सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी / आकर्षिक चिकित्साधिकारी | 02 दिन | सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रभारी / अधीक्षक / संबंधित क्षेत्र का उप मुख्य चिकित्साधिकारी । | मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक |
| | (क) पुलिसमेडिकोलीगल प्रमाण-पत्र (ख) प्राइवेट मेडिकोलीगल (ग) एक्सीटेन्टल मेडिकोलीगल | | | | |
| | (घ) पोर्ट मार्ट्स रिपोर्ट (तृतीय प्रति की छायाप्रति) | मुख्य चिकित्साधिकारी | 07 दिन | मुख्य चिकित्साधिकारी | जिलाधिकारी |
| 4. | विकलांग प्रमाण-पत्र (साप्ताहिक) | मुख्य चिकित्साधिकारी | 03 दिन | जिलाधिकारी | महानिदेशक |
| 5. | औषधि अनुमान (क) औषधि वितरण हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना | औषधि अनुज्ञापन अधिकारी | 3 माह | औषधि नियंत्रक | महानिदेशक |
| | (ख) औषधि वितरण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण करना | औषधि अनुज्ञापन अधिकारी | 1 माह | औषधि नियंत्रक | महानिदेशक |
| | (ग) औषधि निर्माण हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना | औषधि अनुज्ञापन अधिकारी | 3 माह | औषधि नियंत्रक | महानिदेशक |
| | (घ) औषधि निर्माण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण करना | औषधि अनुज्ञापन अधिकारी | 1 माह | औषधि नियंत्रक | महानिदेशक |
| 6. | खाद्य सुरक्षा:- 1. खाद्य लाइसेंस निर्गत करना | खाद्य लाइसेंस अधिकारी | 02 माह | 1. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा नामित अधिकारी | 1. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) |
| | 2. पंजीकरण | पंजीकरण अधिकारी | 01 माह | 2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा नामित अधिकारी | 2. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) |

4. आवास विभाग

(क) समस्त प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण:-

| क्र.सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आवासीय मानचित्र, अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त | सचिव, अथवा उपाध्याक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 15 दिन | उपाध्यक्ष | मण्डलायुक्त |

| | | | | | |
|---|---|---|--------|-----------|-------------|
| 2 | व्यवसायिक मानचित्र , अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त | सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 60 दिन | उपाध्यक्ष | मण्डलायुक्त |
| 3 | मानचित्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करना | सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 05 दिन | उपाध्यक्ष | मण्डलायुक्त |
| 4 | कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र आवासीय मानचित्र | सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 15 दिन | उपाध्यक्ष | मण्डलायुक्त |
| 5 | कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र अनावासीय मानचित्र | सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 30 दिन | उपाध्यक्ष | मण्डलायुक्त |
| 6 | भूउपयोग को ज्ञात करना (स्पष्ट की—प्लान एवं दूरी दर्शाने के उपरान्त) | सचिव, अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 10 दिन | उपाध्यक्ष | मण्डलायुक्त |

(ख) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग:-

| क्र.सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय—सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आर0एच0डी0 का पंजीकरण / नवीनीकरण | सहयुक्त नियोजक | 15 दिन | वरिष्ठ नियोजक | मण्डलायुक्त |
| 2 | आर0एच0डी0 के हैविटाट परियोजना पर तकनीकी अनापत्ति | सहयुक्त नियोजक | 30 दिन | वरिष्ठ नियोजक | मण्डलायुक्त |
| 3 | आर0एच0डी0 के हैविटाट परियोजना पर स्वीकृति | सहयुक्त नियोजक | 60 दिन | वरिष्ठ नियोजक | मण्डलायुक्त |
| 4 | आर0एच0डी0 के हैविटाट परियोजना की पूर्णता प्रमाण—पत्र | सहयुक्त नियोजक | 30 दिन | वरिष्ठ नियोजक | मण्डलायुक्त |

(ग) विनियमित क्षेत्र:-

| क्र.सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय—सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण | नियंत्र प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी | 30 दिन | नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी | मण्डलायुक्त |

5. परिवहन विभाग—

| क्र.सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय—सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|----------------|---|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | वाहन का पंजीयन | सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा | 1—केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 47 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या—20,21, 22 और फार्म संख्या—A वाहन के बिल की मूलप्रति, वैध अपीलों की सुनवाई के | उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-35 के अन्तर्गत धारा—57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के | परिवहन आयुक्त |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---|--|----------------------|
| | | <p>सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।</p> | <p>बीमा की सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण—पत्र एवं एक फोटो के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अव्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क / कर जमा होने के उपरान्त 02 दिन के अन्दर।</p> <p>2—व्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन—पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क / कर / अतिरिक्त कर जमा होने के उपरान्त के 04 दिन के अन्दर।</p> <p>3—अन्य जिलों / राज्यों से अस्थायी पंजीयन लेकर आने वाले वाहनों के सम्बन्ध में यह अवधि आवेदन करने की तिथि से प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त 30 दिन के अन्तर्गत होगी।</p> | <p>लिए प्राधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।</p> | |
| 2 | शिक्षार्थी लाईसेन्स | <p>सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।</p> | <p>केन्द्रीय मोटररैयान नियमावली 1989 के नियम—10 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या—01, 0,2 निवास प्रमाण—पत्र, आयु के प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति, 16—18 वर्ष के मध्य आयु वालों के सम्बन्ध में अभिभावक की सहमति, व्यवसायिक शिक्षार्थी लाईसेन्स हेतु कम से कम 01 वर्ष पुराना वैध हल्की वाहन चालक लाईसेन्स, दो नवीनतम फोटो प्रस्तुतीकरण एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर परीक्षा ली जायेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 02 दिन</p> | <p>उ0प्र0 मोटररैयान नियमावली 1998 के नियम—05 के अन्तर्गत धारा—9 की उप धारा—8 एवं धारा—17 की उपधारा—02 और धारा—19 की उपधारा—03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।</p> | <p>परिवहन आयुक्त</p> |
| 3 | स्थायी लाईसेन्स | <p>सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कृतव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।</p> | <p>केन्द्रीय मोटररैयान नियमावली 1989 के नियम 14 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या—04, वैध शिक्षार्थी लाईसेन्स (न्यूनतम 30 दिन की अवधि पूर्ण होने पर)</p> <p>व्यवसायिक लाईसेन्स के लिए फार्म संख्या—05 पर मोटर चालक प्रशिक्षण, स्कूल का प्रमाण—पत्र, दो नवीनतम फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा करने परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन।</p> | <p>उ0प्र0 मोटररैयान नियमावली 1998 के नियम—05 के अन्तर्गत धारा—9 की उप धारा—8 एवं धारा—17 की उपधारा—02 और धारा—19 की उपधारा—03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।</p> | <p>परिवहन आयुक्त</p> |
| 4 | फिटनेस | <p>सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक</p> | <p>केन्द्रीय मोटररैयान नियमावली 1989 के नियम 62 के अनुसार</p> | <p>उ0प्र0 मोटररैयान नियमावली 1998 के</p> | <p>परिवहन आयुक्त</p> |

सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुङ्गापन प्राधिकारी के कृतियों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

आवश्यक दस्तावेज वाहन निरीक्षण आख्या फार्म वैध बीमा प्रमाण-पत्र नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र समस्त देशों के भुगतान सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, चालन लाभित न होने का प्रमाण-पत्र के साथ वाहन निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर उसी दिन निरीक्षण कर दिया जायेगा। फीट पाये जाने पर दूसरे दिन फिटनेस जारी कर दी जायेगी फिट नहीं पाये जाने पर सभी कमियों को एक मुश्त लिखित रूप में सूचित कर दिया जायेगा।

नियम- 35 के अन्तर्गत धारा- 57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा।

6. पेयजल विभाग

| क्र.सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन जल संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना | अधिशासी अभियन्ता | 15 दिन | अधीक्षण अभियन्ता | मुख्य महाप्रबन्धक |
| | (क) 15 एम.एम.व्यास के जल संयोजन | | | | |
| | (ख) 20 एम.एम.व्यास के जल संयोजन | | | | |
| | (ग) 25 एम.एम.व्यास के जल संयोजन | | | | |
| | (घ) 32 एम.एम.व्यास के जल संयोजन | | | | |
| | (ड.) 40 एम.एम.व्यास के जल संयोजन | | | | |
| | (च) 50 एम.एम.व्यास के जल संयोजन | | | | |
| 2 | जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां मकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एक सीधे संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना | अधिशासी अभियन्ता | 30 दिन | अधीक्षण अभियन्ता | मुख्य महाप्रबन्धक |
| | (छ) 50 एम.एम.व्यास से अधिक के जल संयोजन | | | | |
| 3 | जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां किसी कालोनी अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठानों के समूह के लिये सीधे संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना | अधीक्षण अभियन्ता | 30 दिन | महाप्रबन्धक | मुख्य महाप्रबन्धक |

7-समाज कल्याण विभाग-

| क्र.सं. | सेवाएं | पदाधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|--|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | छात्रवृत्ति | | | | |
| | सेवा-1 राज्य में अध्ययन छात्रों के सम्बन्ध में | जिला समाज कल्याण अधिकारी | विद्यालयों से मांग पत्र प्राप्त होने के 45 दिन में स्वीकृति एवं विद्यालयों को भुगतान। | मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 2 | सेवा-2 राज्य से बाहर छात्रों के सम्बन्ध में | जिला समाज कल्याण अधिकारी | विद्यालयों से मांग पत्र प्राप्त होने के 45 दिन में स्वीकृति एवं विद्यालयों को भुगतान। | मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | गौरा देवी कन्या धन योजना | जिला समाज कल्याण अधिकारी | (अ) पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्ति से दो माह के भीतर पंजीकरण तथा जिला चयन समिति की बैठक से संस्थापित कराई जायेगी। | मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 3 | वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन | ग्राम पंचायत विकास अधिकारी | पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। | सहायक विकास अधिकारी पंचायत | जिला अधिकारी |
| | सेवा-1(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन लाभार्थियों हेतु | खण्ड विकास अधिकारी | ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। | जिला विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | सेवा-2 शहरी क्षेत्रों के पेंशन लाभार्थियों हेतु | उपजिलाधिकारी | पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। | मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | सेवा-3 उपरोक्त दोनों प्रकार के पेंशन लाभार्थियों हेतु | जिला समाज कल्याण अधिकारी | (अ) खण्ड विकास अधिकारी /उप जिलाधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीकरण एवं लाभार्थी को स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना 45 दिन के भीतर भेजी जायेगी। (ब) पेंशन भुगतान की कार्यवाही आवेदन पत्र प्राप्ति के त्रैमास से आगामी त्रैमास के अन्तिम माह में की जायेगी। | मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 3 | जनश्री बीमा योजना | | | | |
| | सेवा-1 जनपद स्तर पर | जिला समाज कल्याण अधिकारी पदन जिला प्रबन्धक बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम | आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर स्वीकृति/संस्थापित सहित राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। | मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | सेवा-2 राज्य मुख्यालय स्तर पर | उप-महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम | जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त होने के 20 दिन के भीतर जीवन बीमा निगम कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा। | महाप्रबन्धक | प्रबन्ध निदेशक |

९-

शहरी विकास विभाग

| क्र.सं | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|--------|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (जन्म-मृत्यु , अस्पताल में होने पर एवं साक्ष्य डेतु चिकित्सकीय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर) | नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ रजिस्ट्रार | 07 दिन | मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम | जिला अधिकारी |
| | | नगरपालिका परिषद के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार/अधिशासी अधिकारी | 07 दिन | नगर पालिका परिषद् डेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | | नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी | 07 दिन | नगर पंचायत डेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 02 | जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (जन्म-मृत्यु अस्पताल के अलावा अन्य स्थान पर सूचना उपलब्ध होने पर) | नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ रजिस्ट्रार | 15 दिन | मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम | जिला अधिकारी |
| | | नगर पालिका परिषद के नगर स्वास्थ्य अधिकारी / रजिस्ट्रार/अधिशासी अधिकारी | 15 दिन | नगर पालिका परिषद् डेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | | नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी | 15 दिन | नगर पंचायत डेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 03 | जन्म-मृत्यु का निकाय में पूर्व से पंजीकरण होने की दशा में जन्म-मृत्यु प्रमाण—पत्र का निर्गमन | नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ रजिस्ट्रार | 03 दिन | मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम | जिला अधिकारी |
| | | नगर पालिका परिषद के नगर स्वास्थ्य अधिकारी /रजिस्ट्रार/अधिशासी अधिकारी | 03 दिन | नगर पालिका परिषद् डेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | | नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी | 03 दिन | नगर पंचायत डेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |

| | | | | | |
|----|--|---|--------|---|--------------|
| 04 | सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्र, अदिवादित (आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर) | नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | 60 दिन | मुख्य विकास अधिकारी, " | जिला अधिकारी |
| | | नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, | 60 दिन | नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 05 | सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्र विवादित (आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर) | नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | 90 दिन | मुख्य विकास अधिकारी, | जिला अधिकारी |
| | | नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, | 90 दिन | नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 06 | भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र | नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी | 30 दिन | मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | | नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, | 30 दिन | नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 07 | नगर निगम/ नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायतों द्वारा भवन मानचिनी की स्वीकृति (केवल विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की परिधि के बाहर के क्षेत्र) | नगर निगम, के मुख्य नगर अधिकारी | 30 दिन | मुख्य विकास अधिकारी | जिला अधिकारी |
| | | नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, | 30 दिन | नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी | जिला अधिकारी |

9—विद्यालयी शिक्षा

| क्र.सं. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|--|------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (अनु०जाति / अनु०जनजाति / | प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक | छात्र से आवेदन पत्र प्राप्त होने के 10 के अन्दर | खण्ड शिक्षा अधिकारी | जिला अधिकारी |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| | अ०पि०वर्ग / अल्प संख्यक) के आवेदन पत्रों का समाज कल्याण विभाग को अग्रसारण। | | | | |
| | समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने पर (अनु०जाति / अनु०जनजाति / अ०पि० वर्ग / अल्प संख्यक) छात्रवृत्ति का वितरण | प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक | 10 दिन | खण्ड शिक्षा अधिकारी | जिला अधिकारी |
| 2 | स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र(टी०सी०) | प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक | 07 दिन | खण्ड शिक्षा अधिकारी | जिला अधिकारी |

10—गृह विभाग

कार्यों का विवरण जिन पर निर्णय विभाग द्वारा लिया जाना है :-

| क्र.सं. | सेवाएँ | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | विदेशियों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाया जाना। | निरीक्षक एलआईयू | 07 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 2 | विदेशियों का पंजीकरण | निरीक्षक एलआईयू | तत्काल | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 3 | बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन (अन्य जनपदों से प्राप्त सत्यापन पत्र जहाँ का वह रहने वाला है।) | प्रभारी थानाध्यक्ष | 07 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 4 | एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराना (वादी को) | प्रभारी थानाध्यक्ष | तत्काल | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 5 | लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान कराना | प्रभारी थानाध्यक्ष | 05 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 6 | सेवायोजन सम्बन्धी सत्यापन | प्रभारी थानाध्यक्ष | 30 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 7 | पार-पत्र सत्यापन | निरीक्षक एलआईयू | 21 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 8 | सामान्य प्रार्थना-पत्रों/शिकायतों का निस्तारण | प्रभारी थानाध्यक्ष | 30 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 9 | पुलिस के विरुद्ध शिकायत | क्षेत्राधिकारी | 30 दिन | प्रभारी जनपद | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |

कार्यों का विवरण जिन पर विभाग द्वारा जांच कर संस्तुति/आख्या अग्रसारित की जानी है:-

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------|----------------|------------------------------------|
| 10 | शर्ट लाइसेन्स का नवीनीकरण की संस्तुति कराना/आख्या अग्रसारित कराना।(अगर लाइसेन्स निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व और लाइसेन्स निर्गत करने वाले जनपद जहाँ से सेवा प्रदान की जाती है।) | प्रभारी थानाध्यक्ष | 15 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
|----|---|--------------------|--------|----------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|----|--|--|--------|--|--------------------------------------|
| 11 | शस्त्र लाईसेन्स में अन्य कोई परिवर्तन करना विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना। (अगर उसी जनपद में परिवर्तन किया जाना है) | प्रभारी थानाध्यक्ष | 07 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 12 | मेला / प्रदर्शनी एवं अन्य पायोजित कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना। | प्रभारी थानाध्यक्ष | 05 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 13 | नये शस्त्र लाईसेन्स का सत्यापन विषयक संस्तुति / आख्या उपलब्ध करना। | प्रभारी थानाध्यक्ष | 30 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 14 | शस्त्रों का नवीनीकरण सत्यापन विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना। | प्रभारी थानाध्यक्ष | 15 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 15 | शस्त्र विक्रेताओं का लाईसेन्स नवीनीकरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना। | प्रभारी थानाध्यक्ष | 15 दिन | क्षेत्राधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 16 | पेट्रोल पम्प / सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना | प्रभारी थानाध्यक्ष / अग्नि शमन अधिकारी | 15 दिन | क्षेत्राधिकारी मुख्य अग्नि शमन अधिकारी | पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |

2— सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।

3— सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्ण रूप से, यथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

4— उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

(मनीषा पंवार)

सचिव

संख्या—1337(1) / XXXI(13)G/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के सांथ अधिसूचना की एक हजार प्रतियां छपवा कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल

आज्ञा दी
10/01/2016
(एनोपसो दुर्गारियाल)
अनु सचिव